कार्यालय नगर पंचायत मझौलीराज,देवरिया।

विज्ञप्ति

उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत मझौलीराज, देवरिया में निमार्ण कार्यो से सम्बन्धीत ठेकेदारी पंजियन उपविधी की नियमावली बनाये जाने हेतु नगर पंचायत बोर्ड कि बैठक दिनांक 15.01.18 में पारित प्रस्ताव सं0 3 द्वारा निर्णय लिया गया है। उपरोक्त नियमावली धारा 301 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित निम्न उपविधि का पाण्डुलेख उन व्यक्तियों को सुचनार्थ, आपती/सुझाव हेतु प्रकाशित कि जाती है। जिस व्यक्ति को निम्नाकिंत उपविधी के संम्बंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह प्रकाशन के दिनांक से एक माह (30 दिन) के अन्दर लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरि के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु 30 दिन के बाद प्राप्त आपत्ति/ सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निस्तारण नगर पंचायत मझौलीराज, देवरिया द्वारा किये जाने के पश्चात उक्त प्रस्तावित ठेकेदारों का पंजियन उपविधि (नियमावली) 2018 उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधिः–

1. यह उपविधि नगर पंचायत मझौली राज,देवरिया नगर निर्माण ठेकेदार पंजिकरण नियमावली वर्ष 2018 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत मझौली राज,देवरिया के समस्त निर्माण कार्यों के ठेकेदारों पर लागू होगी।
3. परिभाषायें :– विषय या प्रशंग में कोई बात प्रतिकुल न होने पर इस उपविधि में।
    1. अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम सं0 2, सन 1916 तथा संशोधित 1994 से है।
    2. नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत मझौली राज,देवरिया से है।
    3. 'अध्यक्ष' से तात्पर्य नगर पंचायत मझौली राज,देवरिया के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/चेयर मैन से है।
    4. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत मझौली राज,देवरिया के अधिशासी अधिकारी से है।
    5. पंजिकरण का तात्पर्य नगर पंचायत मझौली राज,देवरिया में पंजिकृत किये जाने वाले प्रकिया से है।
    6. ठेकेदार का तात्पर्य निमार्ण कार्य पुर्ण कराने वाले फार्म/व्यक्ति से है।
    7. फिस (शुल्क) का तात्पर्य बैंक ड्राफ्ट/नगद एफ.डी.आर./के.वी.पी./एन.एस.सी से है जो पंजीकृत होने के लिए नगर पंचायत में ठेकेदारो द्वारा जमा की जायेगी।
    8. 'वर्ष' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है ।
4. नगर पंचायत मझौलीराज के द्वारा कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्य के ठेके लेने का हक उसी ठेकेदार का होगा। जो नगर पंचायत मझौली में पंजीकृत है। इन ठेकेदारो को यह हक होगा कि नगर पंचायत मझौलीराज के अन्य ठेके भी ले सकते हैं।
5. ठेकेदारो को पंजीकृत होने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। एवं अन्य सभी शर्ते पूरी करनी होगी।
6. प्रति वर्ष ठेकेदारो को अपना पंजिकरण/नवीनीकरण निर्धारित शुल्क जमा कर कराना होगा।
7. पंजीकरण/नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में माह 01 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कराना होगा तथा 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अतिरिक्त शुल्क (रू0 3000.00) जमा करने पर ही नवीनीकरण किया जायेगा माह अप्रैल के बाद पंजीकरण/नवीनीकरण नही होगा।
8. ठेकेदार का कार्य खराब होने/असन्तोषजनक होने पर अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि पंजीकरण/नवीनीकरण तुरन्त निरस्त कर दें, अथवा नवीनीकरण न करें। जिसमें अवधि भी निर्धारित क

9. पंजीकरण/नवीनीकरण करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा। अनुमोदन अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
10. पंजीकरण/नवीनीकरण केवल उसी ठेकेदार का किया जायेगा। जिसको किसी अन्य संस्था में काली सूची में न डाला गया हो।
11. पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथा GST में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त प्रमाणपत्र पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्रत्येक वर्ष ही प्रस्तुत किये जायेंगे। उनके स्थान पर अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र वैद्य नही माने जायेंगे। श्रमिको कि आपूर्ति से संबन्धित कार्य के लिए ठेकेदार को श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. यदि किसी निर्माण कार्य का पंजीकृत ठेकेदार नगर पंचायत मे न हो तो बाहर के ठेकेदारो को आमंत्रित किया जायेगा।
13. यदि ठेकेदार अपने कार्य को निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नही कर सकता है और नगर पंचायत द्वारा बार–बार अनुरोध लिखित आदेश देने पर हिला हवाली करता है उससे नगर पंचायत की छवि खराब होती है। ऐसी दशा में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उस ठेकेदार का पंजीकरण तत्काल रद्द कर आवश्यक कार्यवाही करें ।
14. सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर दें अथवा पंजीकरण न करें।
15. ठेकेदार को पंजीकरण कराने के बाद ठेका लेने के लिए निर्धारित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/नगद/एफ डी आर/टी डी आर/के वी पी/ एन एस सी धनराशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मझौली राज पदनाम से बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
16. ठेकेदारी पंजीयन शुल्क रू.25000.00 (पच्चीस हजार रूपया मात्र) व नवीनीकरण शुल्क रू.7000.00(सात हजार मात्र) देय होगा जो एक वर्ष के लिए होगा। विलम्ब होने पर विलम्ब शुल्क रू.3000.00 (तीन हजार रूपया)अतिरिक्त देया होगा।
17. पंजीयन के समय .2500000.00 (पच्चीस लाख रूपया मात्र) तक के कार्य के लिए रूपया .100000.00 (एक लाख रूपया मात्र) व 25,00000.00(पच्चीस लाख रूपया) से ऊपर कार्य के लिए रू.2,50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नगद/एफ.डी.आर./टी.डी.आर./के.वी.पी./ एन.एस.सी. अधिशासी अधिकारी के पक्ष में बंधक कर जमा करना अनिवार्य होगा।
18. उपविधि में वर्णियत नियमों में परिवर्तन /परिवर्धन बोड में निहित होगा।
19. पंजीकरण हेतु उन्ही ठेकेदार को सम्मिलित किया जायेगा जो उपनियम के लागू सभी शर्तों को पूरा करेंगे अन्यथा वह नगर पंचायत की पंजीकृत सूची में नही रह पायेंगे।
20. कभी भी यह ज्ञात होने पर कि पंजीकृत व्यक्ति/फर्म द्वारा अपने पंजीयन से सम्बन्धित कोई अभिलेख या सूचना छिपाकर अथवा गलत/फर्जी दिया गया है। भविष्य में जब कभी यह ज्ञात होगा तो उसकी जनरल जमानत की धनराशि जब्त कर पंजीयन निरस्त करके एवं काली सूची में रखने का अधिकार अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत जाँच अधिकारी की आख्या पर संतुष्ट होने पर अध्यक्ष में निहित होगा। तथा उसका निष्पादित अनुबन्ध उक्त तिथि से स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
21. नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत मझौली राज में निहित होगा।
22. नवीनीकरण हेतू आवेदन पत्र को मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा आवेदन पत्रों के स्वीकृत के पश्चात् ही निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा किया जायेगा।

शस्ति

उत्तर प्रदेश नकर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करके नगर पंचायत मझौलीराज यह निश्चित करता है कि उक्त उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन दण्डनीय अपराध माना जायेगा और ऐसा अपराध प्रमाणित होने पर 100000 (एक लाख रू0)तक अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है। अर्थ दण्ड लगाने/वसूलने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासन/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा जो भू राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत मझौलीराज,
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पंचायत मझौलीराज
देवरिया।

पत्रांक 21(5) न0प0 म0 रा0 /2018–19/ तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
3. आयुक्त गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी महोदय जनपद–देवरिया।
5. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. देवरिया को इस आश्य से प्रेषित कि इस सूचना को वेवसाइड **www.deoria.nic.in** पर डालने की कृपा करें।
6. सम्पादक राष्ट्रीय सहारा, आज गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में संलग्न सूचना का प्रकाशन कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

9.3.18

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत मझौलीराज,
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पंचायत मझौलीराज
देवरिया।